



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013-ज्येष्ठ 17, शके 1935

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

शादी से पूर्व मेरा नाम एनी थॉमस पुत्री ओ. एन. थॉमस था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती सौम्या एनी त्रिपाठी पत्नी श्री बृजनाथ त्रिपाठी हो गया है. अब मुझे सौम्या एनी त्रिपाठी के नाम से पहचाना जाए.

पुराना नाम :  
( एनी थॉमस )

( 115-बी.)

नया नाम :  
( सौम्या एनी त्रिपाठी )  
म. नं. 108, गीत मोहिनी बंगलो, फेस-6,  
के-सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल.

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में "प्रमोद वर्मा पिता श्री लक्ष्मण वर्मा" था. परन्तु अब मुझे "प्रमोद एल. जाट" के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. साथ ही समस्त व्यवहार भविष्य में इस नाम से ही किया जावे.

पुराना नाम :  
( प्रमोद वर्मा )  
पिता श्री लक्ष्मण वर्मा

(121-बी.)

नया नाम :  
( प्रमोद एल. जाट )  
ग्राम दुधिया, तहसील व जिला इन्दौर ( म. प्र.).

#### उप-नाम परिवर्तन

मैं, रमेश प्रसाद वर्मा पिता स्व. श्री रामधारी वर्मा, उम्र 41, निवासी 1624/7-ए रीवा कॉलोनी, रामपुर-जबलपुर यह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं कक्ष सेवक के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म. प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में कार्यरत हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय रिकार्ड में मेरा नाम रमेश प्रसाद वर्मा लिखा है. चूंकि काछी/वर्मा मेरी जाती है और कुशवाहा मेरा सरनेम उपजाति है. मैं अपने नाम के साथ जाति के स्थान पर सरनेम याने रमेश प्रसाद कुशवाहा लिखना चाहता हूँ. भविष्य में मेरा नाम रमेश प्रसाद वर्मा के स्थान पर रमेश प्रसाद कुशवाहा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( रमेश प्रसाद वर्मा )

(123-बी.)

नया नाम :  
( रमेश प्रसाद कुशवाहा )

**CHANGE OF NAME**

I, Shafali Jain D/o Jaichand Jain, W/o Amit Modi, R/o 204, Sneh Manor Appt., 77 Sneh Nagar, Indore (M.P.) have changed my name after marriage to Nikita Modi for all future purposes.

Old Name :  
(Shafali Jain )

New Name :  
(Nikita Modi )

(124-B.)

**नाम परिवर्तन**

मेरा पूर्व नाम मनोज पटेल परिवर्तित कर रूद्र पटेल रखता हूँ. आज दिनांक से मुझे रूद्र पटेल के नाम से जाना जावे व पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( मनोज पटेल )

नया नाम :  
( रूद्र पटेल )

म. नं. 80, सेवनिया गौड, सूरज नगर,  
वार्ड-24, भदभदा रोड, भोपाल.

(125-बी.)

**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम "गीता पाण्डेय" एवं "ज्ञानकला पाण्डेय" जो मुझसे संबंधित समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु वर्तमान में मेरा नाम परिवर्तित कर "गीता पाण्डेय" हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाये. मुझसे संबंधित समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों, अन्य दस्तावेजों व रिकार्डों में अंकित किया.

पुराना नाम :  
( ज्ञानकला पाण्डे )

नया नाम :  
( गीता पाण्डेय )

पता—पति तुलसीराम पाण्डे/गीता पाण्डे,  
बी-4, प्रोफेसर कालोनी, सिविल लाईन,  
भोपाल पिन-462002.

(122-बी.)

**PUBLIC NOTICE**

Notice hereby given that the partnership lately subsisting between us the under signed Shri Pawan Bhadoriya S/o Shri N.K.S. Bhadoriya aged about 38 years, R/o - P.6 govt, quarter, Kotra Sultanabad, Bhopal (M.P.) and Shri R.S. Anand S/o Shri R.A. Shivashankaran, age about 39 years, R/o- 50, Dwarakapuri Bhopal (M.P.). carrying business and Distributor of Maruti Genuine spare parts at 159, zone-2, M.P. Nagar, Bhopal Head Office and Showroom at R-84, zone-2, M.P. Nagar, Bhopal in and under the name and type of M/s City Motors in partnership under and virtue of a deed of partnership executed by them on 14-10-2006 has been reconstituted as from the 25<sup>th</sup> day of August 2012. All debts due to and Owing by the said late from be received and paid by Shri R.S. Anand and S/o Shri R.A. Shivashankaran age about 39 years, R/o 50, Dwarakapuri, Bhopal (M.P.). Who will continue to carry on the said business under the style or from of M/s City Motors.

Date : 25<sup>th</sup> day of August, 2012

**Mahesh Kumar Morya,**  
(Advocate)

154, Mahendra Complex, Zone-1,  
M.P. Nagar, Bhopal.

(116-B.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सी-34, भगतसिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म का पता परिवर्तित कर न्यू पता सी-28, भगतसिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.) कर दिया है साथ ही फर्म में संशोधन कर श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री सत्य देव यादव, निवासी—डांडी बसुंधरा, डिवियापुर, जिला औरइया (उ. प्र.) एवं श्री विसम्बर दयाल शर्मा पुत्र स्व. श्री पंक्षी पाल शर्मा, निवासी—30, ग्राम अजनोदा, पोस्ट सोनी, तह. मेहगाँव, जिला भिण्ड (म. प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में 17-03-2012 को

संशोधन कर नवीन साझेदार श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, निवासी—मेघपुरा, पोस्ट सोनी, तह. मेहगाँव, जिला भिण्ड (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

**अजय शर्मा,**

मैसर्स—जगन्नाथ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

(117-बी.)

सी-28, भगतसिंह नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म. प्र.).

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स रोहणी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स, एच.आई.जी. 305, माधवराव सिंधिया इन्क्लैव, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री जयेन्द्र सिंह गौर पुत्र स्व. श्री भगवान सिंह गौर, निवासी—कम्पू, ग्वालियर, श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल शर्मा, निवासी—दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर एवं श्री राजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र श्री श्याम लाल गौतम, निवासी—दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर (म. प्र.) को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में 01-04-2012 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्री निशिकान्त शर्मा पुत्र श्री सूर्यकान्त शर्मा, निवासी—दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्री आशीष कुमार गौतम पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गौतम, निवासी—दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदारों को स्वीकार है. साथ ही फर्म के पते में भी परिवर्तन कर न्यू पता एम. आई. जी. 25, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर कर दिया गया है.

**राजबहादुर सिंह तोमर,**

मैसर्स—रोहणी इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स,

(118-बी.)

एम.आई.जी. 25, दर्पण कॉलोनी, ठाटीपुर, ग्वालियर.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स शिवराजपाल रघुराजपाल एण्ड कम्पनी स्थित—75, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.) ने 30-09-2007 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर श्री महावीरपाल सिंह जादौन पुत्र श्री रघुराजपाल सिंह जादौन, निवासी—75, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर एवं श्री ब्रहमासिंह तोमर पुत्र श्री नवाब सिंह तोमर, निवासी—ग्राम सर्वा, जिला भिण्ड को फर्म से हटा दिया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेन-देन नहीं रहेगा एवं अपनी साझेदारी फर्म में 30-09-2007 को संशोधन कर नवीन साझेदार श्रीमती हेमलता सिंह पत्नी श्री बलबहादुर सिंह, निवासी—102, संभवनाथ अपार्टमेंट, 60, गीता नगर, इन्दौर एवं श्री आदित्यपाल सिंह जादौन पुत्र श्री बृजराजपाल सिंह जादौन, निवासी—75, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर को अपनी फर्म में सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

**रघुराजपाल सिंह जादौन,**

मैसर्स—शिवराजपाल रघुराजपाल एण्ड कम्पनी,

(119-बी.)

75, शिवाजी नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर (म. प्र.).

### भागीदारी फर्म में परिवर्तन की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि मेसर्स पटेल वाइन एण्ड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तितरी (पंजीयन क्रमांक 07/37/01/0001/06, दिनांक 19-06-2006 के नाम से दिनांक 23 जनवरी, 2006 की गठित भागीदारी फर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जिसके अनुसार दिनांक 04-08-2011 से गोविन्द कुमार जी श्रीवास्तव पिता राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 62 वर्ष, पता 65/66, इंडस एम्पायर, भोपाल (म. प्र.) एवं श्री अमरीन्दर सिन्हा पिता अवधेश कुमार सिन्हा, उम्र 47 वर्ष, पता B/157, शाहपुरा, भोपाल (म. प्र.) 462016 साझेदारी से निवृत्त हुए हैं. उक्त परिवर्तन को प्रभावशाली बनाने के आशय का पूरक साझेदारी विलेख साझेदारों के मध्य दिनांक 04-08-2011 को सम्पादित हो चुका है.

**मोतीलाल पाटीदार,**

भागीदार,

(120-बी.)

वास्ते-पटेल वाइन एण्ड फ्रूट प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज.

**नाम परिवर्तन**

मेरा वर्तमान नाम Duraisamy George था, मैंने आज से अपना नया नाम David George कर लिया है, आज से मैं, David George के नाम से पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

( Duraisamy George )

(126-बी.)

नया नाम :

( David George )

**CHANGE OF NAME**

I, Tarun Kumar Rajput declare that my child old Name Ajay Kumar Rajput, R/o 74, rivera township mact, Bhopal (MP) have changed my child new name now know and called as Ajeya Sengar in all records.

(127-B.)

**Tarun Kumar Rajput.**

**नाम परिवर्तन**

पहले मेरा नाम मिथुन कुमार जैन था, अब मैंने अपना नाम परिवर्तन कर मिथुन कुमार पुत्र श्री खेमचंद जैन कर लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :

( मिथुन कुमार जैन )

(128-बी.)

नया नाम :

( मिथुन कुमार )

निवासी—म. नं. 16/14, शिरिन कॉम्प्लेक्स,  
कोहेफिजा, भोपाल (म. प्र.).

**CHANGE OF NAME**

I, Arshdeep Kalra D/o Shri Ravinder Pal Singh Kalra R/o 52, Vinay Nagar, Sector-2, Lashkar, Gwalior (M. P.) have changed my name from Arshdeep Kalra to Arshdeep Kaur Kalra of all future purposes.

Old Name :

(Arshdeep Kalra )

(130-B.)

New Name :

(Arshdeep Kaur Kalra)

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, मोहम्मद जावेद कुरैशी पुत्र श्री मोहम्मद याकूब कुरैशी की हायर सेकेण्डरी की अंक सूची में मेरा नाम Mohammed Javad Qureshi अर्थात् त्रुटिपूर्ण Javed के स्थान पर Javad अंकित हो गया है जबकि मेरा सही व पूरा नाम Mohammed Javed Qureshi है।

पुराना नाम :

( Mohammed Javad Qureshi )

(131-बी.)

नया नाम :

( Mohammed Javed Qureshi )

निवासी—401, शिवालिक अपार्टमेंट,  
होटल सीता मेनोर के पीछे, गांधी रोड,  
ग्वालियर (म. प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार की दसवीं कक्षा की अंकसूची में भूलवश नाम संजय के आगे उपनाम सोलंकी नहीं लिखा गया है, मेरे पक्षकार को दसवीं कक्षा की अंकसूची में अपने नाम के आगे उपनाम सोलंकी जोड़कर संजय सोलंकी पढ़ा जाए, मेरे पक्षकार का दसवीं कक्षा के बाद की समस्त शैक्षणिक योग्यता/अंकसूची अन्य दस्तावेजों में वास्तविक नाम संजय सोलंकी पुत्र घुड़या सोलंकी अंकित है, संजय सोलंकी नाम से उसे समाज में एवं शैक्षणिक रिकॉर्ड में जाना व पहचाना जाता है, यह आम सूचना मेरे पक्षकार संजय की दसवीं कक्षा की अंकसूची के नाम के आगे उपनाम सोलंकी जोड़ने, पढ़ने व सुधार बाबत प्रकाशित की जा रही है।

**सतीश सिमैया (एडवोकेट)**

रजि. नं. 469/95,

मकान नं. 61, ऋषीपुरम, फेस-III,

आनन्द नगर, भोपाल.

(129-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, आलोट, तहसील आलोट, जिला रतलाम

आलोट, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

प्रकरण क्र. 81/बी-121/11-12.

#### प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 एक का अधिनियम तीसवां की धारा-5 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5 (1) के अनुसार]

चूंकि श्री भग्गाजी-भेरूलालजी पारख, न्यास आलोट ट्रस्ट, तहसील आलोट, जिला रतलाम के ट्रस्टी की अध्यक्ष श्री प्रकाशचंद्र लोडा पिता शांतिलालजी लोडा, जाति जैन, निवासी-94, सुभाष मार्ग, खाचरौद, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश अन्य-8 ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा (4) के अनुसार नीचे दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. अतएव सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन की सुनवाई मेरे न्यायालय में नियत दिनांक 16 नवम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे नियत की गई है.

2. कोई व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा/सम्पत्ति का हितर्थी हो और उसे ट्रस्ट के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या ऐजेंट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों.

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### अधिसूची

- |                              |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| 1. ट्रस्ट का नाम             | ..  | श्री भग्गाजी-भेरूलालजी पारख, न्यास आलोट ट्रस्ट, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.   |
| 2. चल सम्पत्ति का विवरण- (क) | ..  | वर्तमान में ट्रस्ट की सम्पत्ति रुपये 1,30,347/- (एक लाख तीस हजार तीन सौ सैतालिस रुपये) ट्रस्ट के निष्पादन कर्ता द्वारा नगद रूप में प्रदान की गई.  |
|                              | (ख) | निरंक.  |
| अचल सम्पत्ति                 | ..  | नगर परिषद आलोट जिला रतलाम मध्यप्रदेश की नगरसीमा में वार्ड क्रमांक-3 वार्ड क्रमांक-2 भवन क्रमांक-51 राजेंद्र विलास, राजेंद्र चौक (रानीपुरा) आलोट में स्थित निजी स्वत्व का मकान अनुमानित मूल्य 25,00,000/-. |
| 3. अचल सम्पत्ति का विवरण     | ..  | निरंक.  |

आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(289)

बी. एल. मालवीय,  
अनुविभागीय अधिकारी.

### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास नया हरसूद ( छनेरा ), जिला खण्डवा

राजस्व प्रकरण क्र. 01/बी-113-1/2012-13.

ग्राम- दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा.

[नियम 5 (1) के अंतर्गत]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) तथा

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 का उपनियम (1)]

- श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति, ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा.  
लोक न्यास के पंजीयक के समक्ष.

क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि अनुसूचित में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है, उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास नया हरसूद ( छनेरा ), जिला खण्डवा का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 26 जून, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले

किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची

लोक न्यास का नाम	.. श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति पब्लिक ट्रस्ट लोक न्यास ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा मध्यप्रदेश.
द्वारा	.. श्री सुरेश कुमार, उम्र 52 वर्ष पिता श्री रामप्रसाद जी, पटेल ग्राम दगड़खेड़ी (अध्यक्ष).
लोक न्यास का पता	.. श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर समिति (ट्रस्ट) लोक न्यास मुकाम पोस्ट ग्राम दगड़खेड़ी, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा (मध्यप्रदेश).
लोक न्यास की सम्पत्ति	.. ग्राम दगड़खेड़ी की भूमिस्वामी हक्क की भूमि खसरा नं.-417/3, रकबा 0.200 हैक्टर श्री चंद्रघटा दुर्गा माता मंदिर, पुजारी रविशंकर उपाध्याय जिसमें श्री चंद्रघटा माताजी मंदिर, शिव परिवार मंदिर, श्री नर्मदाजी मंदिर, भैरो नाथ मंदिर, भोजनालय कक्ष, मंगल परिसर, एक नलकूप विद्युत मोटर सहित, एक हेण्डपम्प, भारत गैस डबल टंकी वाला, अहूजा कम्पनी की मशीन चार चोंगे एवं दो माईक, छत पंखा-6 नग, बड़ी दरी 4 नग.

बी. एल. कौल,

अनुविभागीय अधिकारी.

(290)

### न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मन्दसौर

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. 05/बी-113 (1)/09-10.

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1) ]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

“ श्री पार्श्व चन्दन कमल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट पद्मावती नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश. ”

2. चूँकि “ श्री पार्श्व चन्दन कमल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट पद्मावती नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश ” द्वारा न्यासधारी-श्री महेन्द्र चोरडिया पिता सोहनलालजी चोरडिया, निवासी आदिनाथविहार कॉलोनी, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 मई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 मई, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 24 मई, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

1. अचल सम्पत्ति:— पद्मावती नगर मन्दसौर में स्थित भू-खण्ड पर निर्मित मंदिर की भूमि व उससे लगा हुआ आराधना भवन व खुली भूमि मानचित्र अनुसार जिसकी कीमत 10,00,000/- रुपये.
2. चल सम्पत्ति:— तीनों भगवान की रकम जिसमें कुण्डल, मुकुट मूलनायक भगवान के पांखड 2, बाज-2, गले का हार-1, श्रीफल-1, छत्र-3, अष्ट धातु की प्रतिमा-1, चौबीसी 1, पंचतीर्थी 1, गट्टाजी 1, अष्ट मंगल, पाषाण प्रतिमा-मूलनायक श्री नाकोडा पार्श्वनाथ जी, आजु-बाजु आदिनाथजी, शांतिनाथ जी, दादा गुरुदेव-श्री जिनकुशल सूरी,

आजु-बाजू काला गोरा भेरव माणिभद्रजी, पार्श्वयद्वा, नाकोडा भैरव, पद्मावतीजी, 14 सपनाजी, पालनाजी, 2 चंवर, भक्ति संगी सामग्री, माईक, तबला-पेटी, 12 कलश छोटे, धूप दाने, 2 मंगल दीपक, आरती नग 3-3 मंदिर जी में आरती के लिए घंटी, घडियाल पीतल के जिसमें 2 घंटे एक घडियाल जो कीमती एवं इसके अलावा एक इलेक्ट्रिक मशीन है. लोक न्यास का नाम “श्री पार्श्व चन्दन कमल जैन पारमार्थिक ट्रस्ट पद्मावती नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश”.

(291)

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/10-11.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

“श्री गोपालकृष्ण कुमावत समाज धर्मशाला न्यास, बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.”

2. चूँकि “श्री गोपालकृष्ण कुमावत समाज धर्मशाला न्यास, बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश” द्वारा न्यासधारी-नन्दकिशोर पिता किशनलाल राठौर एवं मोहनलाल पिता किशनलाल सुथार, नि. ग्राम बेहपुर, तहसील दलोदा ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 मई, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 27 मई, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

#### सम्पत्ति का विवरण

ट्रस्ट की सभी चल/अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं, जो निम्न प्रकार हैं:—

1. अचल सम्पत्ति:— ग्राम बेहपुर, तहसील दलोदा में ग्राम पंचायत पंजी क्र. 121 पर भवन क्र. 417 पर 120/90 कुल 10,800 वर्गफिट का भवन स्थित है जिसकी कीमत 3,00,000/- रुपये है.
2. चल सम्पत्ति:— ट्रस्ट की चल सम्पत्ति के रूप में 5,000/- रुपये बैंक में जमा किये हैं इस प्रकार कुल सम्पत्ति 3,05,000/- (तीन लाख पाँच हजार रुपये) है. लोक न्यास का नाम “श्री गोपालकृष्ण कुमावत समाज धर्मशाला न्यास, बेहपुर, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश”.

(291-A)

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. 01/बी-113 (1)/08-09.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

“श्री राम मारूति महायज्ञ ट्रस्टी देहरी, तहसील व जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.”

2. चूँकि “श्री राम मारूति महायज्ञ ट्रस्टी देहरी, तहसील व जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश” द्वारा न्यासधारी-श्री गणेशराम पिता उदेराम पाटीदार, निवासी देहरी, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 मई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 24 मई, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ। अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 24 मई, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### सम्पत्ति का विवरण

1. अचल सम्पत्ति:— मंदिर एवं मंदिर की भूमि।
2. चल सम्पत्ति:— घंटी नग-3 पीतल कीमत 500/-, बाल्टी नग-1 स्टील कीमत 150/- रुपये, पानी की विद्युत मोटर 1 एच. पी. कीमत 5,000/-, जाली फाटक 500/- रुपये कुल 6,150/- (छः हजार एक सौ पचास रुपये मात्र) लोक न्यास का नाम "श्री राम मारुति महायज्ञ ट्रस्टी देहरी, तहसील व जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश".

वीरसिंह चौहान

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

(291-B)

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि., एम. पी. नगर वृत्त, भोपाल

प्रकरण क्रमांक 10/बी-113/10-11.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल वृत्त, एम. पी. नगर, भोपाल, जिला भोपाल.

जैसा कि "आचार्य श्रीराम शर्मा स्मृति न्यास" द्वारा श्री प्रदीप कुमार दीक्षित आ. श्री विमलेन्दु शंकर दीक्षित, निवासी 60, नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 जून, 2013 को विचार में लिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता . . "आचार्य श्रीराम शर्मा स्मृति न्यास" पता 60, नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति . . 5,000/- (पांच हजार रुपये).
3. अचल सम्पत्ति . . निरंक.

(292)

प्रकरण क्रमांक 4/बी-113/11-12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

**समक्ष :** रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नजूल वृत्त, एम. पी. नगर, भोपाल, जिला भोपाल.

जैसा कि आवेदक श्री अमरनाथ मिश्र आ. श्री छोटेलाल मिश्र, निवासी एफ 108/63, शिवाजी नगर, भोपाल द्वारा "श्री नर्मदेश्वर धाम अध्यात्मिक एवं जन कल्याण समिति, शिव शक्ति नगर, अहमदपुर, भोपाल" ट्रस्ट मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।



एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 24 जून, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता . . . "श्री नर्मदेश्वर धाम अध्यात्मिक एवं जन कल्याण समिति, शिव शक्ति नगर, अहमदपुरा, भोपाल".
2. चल सम्पत्ति . . . 10,000/-.
3. अचल सम्पत्ति . . . स्थापित मंदिर की भूमि 2400 वर्गफुट.

(292-A)

रितु चौहान,  
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

#### न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 24 मई, 2013

प्र. क्र. /12-13/बी-113.

#### फॉर्म-4

[ नियम (11) देखिये ]

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत ]

जैसा कि सचिव, ज्ञान साँची संस्थान, भिण्ड श्री रनसिंह तोमर, निवासी भारौली रोड, भिण्ड ने ज्ञान साँची संस्थान, भिण्ड का पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : ज्ञान साँची संस्थान, भिण्ड ( म. प्र. ).
2. चल सम्पत्ति : 10,000/- ( दस हजार रुपये ).
3. अचल सम्पत्ति : निल.

नरोत्तम भार्गव,  
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ).

(293)

#### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

जारी दिनांक 21 मार्च, 2013

प्र. क्र. 11बी/113/2012-13.

#### प्रारूप-तृतीय

[ नियम पाँच-1 देखिये ]

( मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत )

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, नवीनचंद्र पिता बालकृष्ण वैद्य, निवासी मोहल्ला बुधवारा, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने " श्री नृसिंह भगवान मंदिर ट्रस्ट " का

लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 28 मई, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम . . . श्री नृसिंह भगवान मंदिर ट्रस्ट मोहल्ला बुधवारा, बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति . . . निरंक.
3. अचल सम्पत्ति . . . मोहल्ला बुधवारा, बुरहानपुर, ब्लाक नं. 13, प्लाट नं. 231, क्षेत्रफल 1745 वर्गफीट जो मंदिर नरसिंहजी के नाम से दर्ज है एवं ब्लाक नं. 13, प्लाट नं. 233, क्षेत्रफल 720 वर्गफीट जो मंदिर श्री हनुमानजी के नाम से दर्ज है.

(294)

जारी दिनांक 9 मई, 2013

प्र. क्र. बी/113/2012-13.

### प्रारूप-तृतीय

[ नियम पाँच-1 देखिये ]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष, ईश्वरदास गुरु मनोहरदास, निवासी मोहल्ला नागझिरी, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश ने "श्री लक्ष्मीनारायणजी भगवान जी की मूर्ति वैष्णव बैरागी समाज ट्रस्ट" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 10 जून, 2013 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम . . . "श्री लक्ष्मीनारायणजी भगवान जी की मूर्ति वैष्णव बैरागी समाज ट्रस्ट".
2. चल सम्पत्ति . . . निरंक.
3. अचल सम्पत्ति . . . ग्राम एमागिर्द में स्थित कृषि भूमि ख. नं. 432/2, रकबा 0.89 हैक्टर भूमि.

सूरज नागर,  
पंजीयक.

(294-A)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत ]

जय भैरव बाबा धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास (ट्रस्ट) कार्यालय 8, बारामल्हा, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री संतोष श्रीवास्तव, निवासी 140, राजस्वग्राम, छत्रीबाग, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : जय भैरव बाबा धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास (ट्रस्ट).

पता : 8, बारामत्था, गुरुनानक कॉलोनी, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(295)

#### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

साईं ऑटो समिति ट्रस्ट कार्यालय साईं मंदिर व्हाइट चर्च, इन्दौर की ओर से रवि पिता बलवंत शिकरे, पता 14/4, उषागंज, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम : साईं ऑटो समिति ट्रस्ट.

पता : साईं मंदिर, व्हाइट चर्च, इन्दौर.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 1,000/- (अक्षरी रुपये एक हजार मात्र).

आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(295-A)

#### ( फॉर्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“महावीर चौक मजदूर संगठन ट्रस्ट” कार्यालय वेयर हाऊस रोड, सियागंज, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार पता 28/2, गाड़ी अड्डा, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर

इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“महावीर चौक मजदूर संगठन ट्रस्ट”.
पता	:	वेयर हाऊस रोड, सियागंज, इन्दौर (म. प्र. ).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 7,500/- (अक्षरी रुपये सात हजार पाँच सौ मात्र).

आज दिनांक 15 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(295-B)

#### (फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

“श्री पंजाबी समाज सेवा संस्थान” कार्यालय 45, लसुडिया मोरी, देवास नाका, चौधरी का ढाबा के सामने, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री अजय पिता जोगेन्द्र पाल खनुजा, निवासी 38, विष्णुपुरी मेन, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री पंजाबी समाज सेवा संस्थान”.
पता	:	45, लसुडिया मोरी, देवास नाका, चौधरी का ढाबा के सामने, इन्दौर (म. प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	परिशिष्ट “अ” अनुसार बोरिंग, दिवार, गेट, शेड आदि.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,53,760/- (अक्षरी रुपये एक लाख त्रेपन हजार सात सौ साठ मात्र) (दिनांक 31 मार्च, 2012 के अंकेक्षित लेखे अनुसार).

आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

(295-C)

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष,

रघुवंशपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल.

पता:—ई-117/17, शिवाजी नगर, भोपाल.

रघुवंशपुरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./182, दिनांक 14 अक्टूबर, 1980 (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) के संबंध में सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल द्वारा वर्ष ..... की अंकेक्षण टीप में उल्लेखित निम्नलिखित कारणों से संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है।—

1. संस्था पंजीकृत पते पर उपलब्ध नहीं है।
2. संस्था का रिकॉर्ड अंकेक्षण हेतु नहीं मिलने से वित्तीय पत्रक दोहराये जा रहे हैं।
3. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सदस्यों के हित में भूमि क्रय नहीं की गई है।
4. संस्था निष्क्रिय एवं अकार्यशील है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/15-1-99, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह “कारण बताओ सूचना-पत्र” जारी कर अवगत कराता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापित करते हुए धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की जावे। इस कारण बताओ सूचना-पत्र को संचालक मण्डल के सदस्यों एवं समस्त सदस्यों के समक्ष विचारार्थ रखा जावे तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर, साक्ष्य, दस्तावेज, अभिलेख सहित दिनांक 7 जून, 2013 तक कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

नियत सुनवाई दिनांक को प्रकरण के संबंध में अनुपस्थिति/उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रकरण के संबंध में कुछ नहीं कहना है और न ही पक्ष समर्थन हेतु साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करना है, अंतिम आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

**आर. एस. विश्वकर्मा,**  
उप-पंजीयक.

(296)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, रीवा

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./345, दिनांक 05 मार्च, 2012 के द्वारा ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., गढ़ (गंगेव), तहसील मनगवां, जिला रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक 885, दिनांक 22 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, स. वि. अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरिट ) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(297)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./336, दिनांक 05 मार्च, 2012 के द्वारा बैधनाथ ईंधन क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बैकुण्डपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक 912, दिनांक 06 अगस्त, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, स. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(297-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./342, दिनांक 05 मार्च, 2012 के द्वारा जय बजरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., दमौती, तहसील त्योंथर, जिला रीवा जिसका पंजीयन क्रमांक 902, दिनांक 03 अगस्त, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ए. के. द्विवेदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कापोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. द्विवेदी,  
सहायक पंजीयक.

(297-B)

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शहडोल

शहडोल, दिनांक 31 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

जिले में स्थित आदिवासी वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., ब्यौहारी, जिसका पंजीयन क्र. 475, दिनांक 15 फरवरी, 1965 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी वनश्रमिक सहकारी समिति मर्या., ब्यौहारी, जिसका पंजीयन क्रमांक 475, दिनांक 15 फरवरी, 1965 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कापोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(298)

शहडोल, दिनांक 31 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत]

जिले में स्थित आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खाम्हा, जिसका पंजीयन क्र. 483, दिनांक 26 दिसम्बर, 1962 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः मैं, बुन्देल सिंह परते, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, शहडोल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के तहत आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खाम्हा, जिसका पंजीयन क्र. 483, दिनांक 26 दिसम्बर, 1962 का पंजीयन रद्द करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

बुन्देल सिंह परते,  
उप-रजिस्ट्रार.

(298-A)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/366.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भूमरिया, जिसका पंजीयन क्र. 767, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 161, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, भूमरिया को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(299)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/367.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दाताग्राम, जिसका पंजीयन क्र. 914, दिनांक 09 फरवरी, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 157, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, दाताग्राम को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(299-A)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/368.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदी, जिसका पंजीयन क्र. 823, दिनांक 14 अगस्त, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 158, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, करोंदी को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-B)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/369.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लाख्या, जिसका पंजीयन क्र. 895, दिनांक 27 सितम्बर, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 160, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, लाख्या को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-C)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/370.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या रसौडा, जिसका पंजीयन क्र. 803, दिनांक 27 मई, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 165, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या रसौडा को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-D)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2013/371.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हिनौत्या, जिसका पंजीयन क्र. 816, दिनांक 29 जुलाई, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 162, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.



अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, हिनौत्या को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-E)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/372.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, धामन्या, जिसका पंजीयन क्र. 861, दिनांक 06 मई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 163, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, धामन्या को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-F)

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/373.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मिठठनपुर, जिसका पंजीयन क्र. 768, दिनांक 28 मार्च, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 164, दिनांक 19 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मिठठनपुर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(299-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत]

मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, नापानेरा, जिसका पंजीयन क्र. 476, दिनांक 24 दिसम्बर, 1993 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 110, दिनांक 12 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, नापानेरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(299-H)

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत ]

नव जाग्रती मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, गोधटपुरा, जिसका पंजीयन क्र. 835, दिनांक 26 नवम्बर, 2002 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र-क्रमांक 109, दिनांक 12 फरवरी, 2013 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया/संस्था द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है तथा मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए नव जाग्रती मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, गोधटपुरा को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(299-I)

आर. एस. गौर,  
उप-रजिस्ट्रार.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 07 जून 2013-ज्येष्ठ 17, शके 1935

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित रहा है.—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक.—तहसील करैरा, कोलारस, बदरवास (शिवपुरी), ओरछा (टीकमगढ़), बड़ामलहरा (छतरपुर), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रहली, देवरी, शाहगढ़, केसली, मालथोन, राहतगढ़ (सागर), गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), रामपुरनैकिन (सीधी), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, पाटी, निवाली (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), लटेरी, सिरोंज, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली, बैतूल (बैतूल), निवास (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक.—तहसील श्योपुर (श्योपुर), गोहद, लहार, मिहोना (भिण्ड), घाटीगांव (ग्वालियर), मुंगावली, ईसागढ़ (अशोकनगर), बल्लदेवगढ़ (टीकमगढ़), लौण्डी, छतरपुर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), गढ़ाकोटा (सागर), खाचरौद, महिदपुर, नागदा (उज्जैन), बुरहानपुर (बुरहानपुर), जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़ ब्यावरा (राजगढ़), कुरवाई (विदिशा), मुलताई, आढनेर, आमला (बैतूल), बिछिया, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक.—तहसील कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहगांव (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), अशोकनगर, चंदेरी (अशोकनगर), निवाडी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, राजनगर (छतरपुर), हजूर (रीवा), ब्यौहारी, जैसिंहनगर, गोहारू (शहडोल), जेतहरी (अनूपपुर), सिंहवल, मझौली, कुसमी (सीधी), नेपानगर (बुरहानपुर), नैनपुर, मण्डला (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक.—तहसील डबरा, भितरवार (ग्वालियर), त्योंधर, सिरमोर, मऊगंज, जवां, हनुमना, मनगवां, नईगढी, सेमरिया (रीवा), सोहागपुर, जैतपुर, बुढार (शहडोल), अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदवनास, चुरहट (सीधी), शाहपुरा (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, शहडोल में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. **फसल स्थिति.**—जिला बड़वानी में ओला वर्षा से फसल गेहूँ को 15% से 25% व इंदौर में मावडा गिरने से गेहूँ, चना व राजगढ़ में धनिया, चना व डिण्डोरी में ओला गिरने से दलहानी फसल गेहूँ, मसूर, मटर व सिंगरौली में खडी फसल राई-सरसों, मसूर, तुअर व धार में ओला पाला से गेहूँ, चना, प्याज, मटर में 10% से 50% व रायसेन में ओला वृष्टि से 20% से 25% फसलों को क्षति व टीकमगढ़ में दलहन व तिलहन फसलों को 2% से 3% क्षति व रीवा में दलहन फसलों को कहीं-कहीं नुकसान तथा फसले प्रभावित हुई है।

5. **कटाई.**—जिला सिहोर, हरदा में फसल चना व बुरहानपुर में तुअर व बैतूल में तुअर, गन्ना, मण्डला तथा सिवनी में रबी दलहन की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्रायः सभी जिलों के खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा मक्का, तिल. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर, मसूर. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	24.0				
2. कराहल	45.0				
3. विजयपुर	48.0				
<b>जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	49.0				
2. भिण्ड	40.0				
3. गोहद	30.0				
4. मेहगांव	45.8				
5. लहार	29.2				
6. मिहोना	29.0				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	43.7				
2. डबरा	75.0				
3. भितरवार	73.5				
4. घाटीगांव	22.4				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	11.0				
6. कोलारस	2.0				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	9.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, गन्ना अधिक. गेहूँ, मक्का कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुंगावली	18.0				
2. ईसागढ़	27.0				
3. अशोकनगर	45.0				
4. चन्देरी	42.0				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. दलहन व तिलहन फसलों को 2% से 3% क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, आलू. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	46.8				
2. पृथ्वीपुर	42.0				
3. जतारा	43.0				
4. टीकमगढ़	43.0				
5. बल्देवगढ़	33.0				
6. पलेरा	51.0				
7. ओरछा	5.0				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	33.0				
2. गौरीहार	38.0				
3. नौगांव	50.0				
4. छतरपुर	27.0				
5. राजनगर	48.0				
6. बिजावर	33.0				
7. बड़ामलहरा	9.0				
8. बकस्वाहा	27.0				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मसूर, मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	14.2				
2. खुरई	9.0				
3. बण्डा	5.5				
4. सागर	5.7				
5. रेहली	9.1				
6. देवरी	12.3				
7. गढ़ाकोटा	18.0				
8. राहतगढ़	2.0				
9. केसली	17.0				
10. मालथोन	12.0				
11. शाहगढ़	10.0				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>*जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मझगवां	..		(2) ..		
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. दलहन फसलों को नुकसान.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	75.0		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	62.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	71.0				
4. जवा	75.0				
5. हनुमना	65.1				
6. मनगवां	62.8				
7. हजूर	42.4				
8. गुढ़	14.0				
9. रायपुरकुर्चिलियान	15.2				
10. नईगढी	71.0				
11. सेमरिया	62.8				
<b>जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	90.0		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	39.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिहनगर	36.0				
4. जैतपुर	76.0				
5. बुढ़ार	59.0				
6. गोहपारू	39.0				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	46.8		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, अधिक. राहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	54.6		(2) ..		
3. कोतमा	67.1				
4. पुष्पराजगढ़	73.3				
<b>*जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पाली	..		(2) ..		
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. गोपदवनास	50.4		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	44.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	44.6				
4. कुसमी	45.0				
5. चुरहट	50.2				
6. रामपुरनैकिन	11.5				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. खड़ी फसल राई-सरसों, मसूर, तुअर की छति हुई हैं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर अधिक. जौ, राई-सरसों, अलसी मटर,लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
<b>*जिला मन्दसौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दसौर	..				
6. सीतामऊ	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जावरा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. आलोट	..		(2) ..		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	21.0		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	20.0		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	23.0				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ौद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापिपल	..				
9. गुलाना	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		मसूर, जौ अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सोण्डवा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. अलीराजपुर	..				
4. राणापुर	..				
5. उदयगढ़	..				
6. कुक्षीबाड़ा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ओला पाला से गेहूँ, चना, प्याज, मटर में 10% से 50% क्षति हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. मावडा गिरने से फसल गेहूँ, चना में आंशिक क्षति हुई है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला प. निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	..				
4. सेगांव	..				
5. करही	..				
6. खरगोन	..				
7. गोगावां	..				
8. कसरावद	..				
9. मुल्ठान	..				
10. भगवानपुरा	..				
11. भीकनगांव	..				
12. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला बड़वानी:</b>	मिलीमीटर	2. ओला वर्षा से फसल गेहूँ को 15% से 25% नुकसान.	3. . . 4. (1) कपास, गेहूँ, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	3.2				
2. ठीकरी	3				
3. राजपुर	10				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	2				
6. पाटी	16				
7. निवाली	1				
8. अंजड	..				
9. वरला	..				
<b>जिला पूर्व-निमाड़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ चना. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	23.0				
2. खकनार	7.2				
3. नेपानगर	44.0				
<b>जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. धनिया, चना की फसल प्रभावित हुई है.	3. . . 4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम. मक्का, मूँगफली, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	25.5				
2. खिलचीपुर	18.0				
3. राजगढ़	32.0				
4. ब्यावरा	20.2				
5. सारंगपुर	2.0				
6. नरसिंहगढ़	2.0				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर, राई-सरसों. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	15.0				
2. सिरोंज	17.0				
3. कुरवाई	21.2				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	1.0				
7. ग्यारसपुर	5.0				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ चना, मसूर, मटर, तिवड़ा, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. चना, फसल की कटाई का कार्य चालू हैं.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2.ओला पाला तुषार से 15% से 25% फसलों को क्षति हुई है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2.गन्ने की रोपाई व तुअर, गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	12.8				
2. घोड़ाडोंगरी	13.0				
3. शाहपुर	10.0				
4. चिचोली	8.1				
5. बैतूल	10.6				
6. मुलताई	25.6				
7. आठनेर	25.8				
8. आमला	26.0				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, तुअर, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. चना की कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. कुण्डम	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गाडरवारा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	4.1		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	30.9		जौ.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	35.1		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
4. मण्डला	47.4				
5. घुघरी	28.1				
6. नारायणगंज	21.9				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ओला गिरने से दलहानी फसलों गेहूँ, मसूर, मटर की क्षति हुई हैं.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	40.0		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, अलसी, समान	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	69.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
<b>*जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी दलहन फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	..		कम.		
4. बरघाट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. कुरई	..				
6. घंसौर	..				
7. धनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) गेहूँ, चना, उड़द, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— \*जिला सतना, उमरिया, मंदसौर, रतलाम, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(288)